

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //


भोपाल दिनांक 26/11/2019

क्रमांक 13777/4205/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 26/11/2019 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने पर इनकी अनुशंसा "परिभ्रमण" में रखी गई है। समुचित प्रस्ताव, संचालनालय, आयुष से प्राप्त होंगे तत्समय निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान हेतु समिति विचार करेंगी :-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान
1	2	3
01	डॉ० रामकृष्ण गौतम, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी जिला सतना (सेवानिवृत्त 30.09.2016)	(प्रथम नवीन) 01.04.2006 (15600-39100+6600)
		(द्वितीय नवीन) 21.02.2011 (15600-39100+7600)

2/- उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों द्वारा समयमान वेतनमान की पात्रता वर्ष से विगत पांच वर्षों एवं पश्चातवर्ती वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन कब-कब, किस अधिकारी को प्रस्तुत किये गये है। इसकी जानकारी संबंधित सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त की जाकर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही संचालनालय आयुष द्वारा की जाएगी। संचालनालय को गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर समयमान हेतु बैठक के आयोजन के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराए जाए।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(कलावती उईके) 26-11-19  
अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 2- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
  - 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल। (गोपनीय प्रतिवेदन मूलतः संलग्न है)
  - 4- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
  - 5- संभागीय आयुष अधिकारी, .....
  - 6- जिला आयुष अधिकारी .....
  - 7- संबंधित डॉ. ....
  - 8- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
26-11-19

अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल


// आदेश //

भोपाल दिनांक 26/11/2019

क्रमांक 3779/4205/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 26/11/2019 में समिति द्वारा डॉ.एस.एस.इकबाल, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला दमोह (सेवानिवृत्त 31.03.2014) को द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु समिति की पूर्व बैठक दिनांक 06.08.2018 में उन्हें दिनांक 31.03.2014 से द्वितीय समयमान वेतनमान का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा उक्त लिये गये निर्णय को यथावत रखा गया।

2/- समिति द्वारा डॉ.इकबाल की वर्ष 2005 से 2009 तक के गोपनीय प्रतिवेदन वर्तमान में लिखे गये हैं और उक्त गोपनीय प्रतिवेदन विधिवत चैनल से प्राप्त नहीं हुए। उक्त गोपनीय प्रतिवेदन कैसे प्राप्त हुये तथा एकदम नवीन गोपनीय प्रतिवेदन एवं कूटरचित पाये गये हैं। समिति द्वारा डॉ.इकबाल के उक्त वर्षों प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदनों की जांच कार्यवाही की करने एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध करने का निर्णय लिया गया है। जांच में यदि गोपनीय प्रतिवेदन फर्जी रूप से प्राप्त हुए हैं तो संबंधितों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का भी निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(कलावती उईके)


अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

भोपाल, दिनांक 26/11/2019

पृष्ठांकन क्रमांक 3780/4205/2019/1/59  
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
  - 2- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल। ~~द्वितीय समयमान वेतनमान के प्रकरण हेतु~~
  - 3- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
  - 4- संभागीय आयुष अधिकारी, सागर संभाग सागर
  - 5- जिला आयुष अधिकारी जिला दमोह। कृपया आदेश की एक प्रति संबंधित को तामील कराने हेतु।
  - 6- संबंधित डॉ. एस.एस.इकबाल, सेवा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, द्वारा-जिला आयुष अधिकारी जिला दमोह।
  - 7- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
अवर सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग